

पूर्वी उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास के साधन के रूप में व्यावसायिक कृषि की भूमिका



बृजमोहन सिंह यादव
शोधछात्र,
भूगोल विभाग,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत।

Article Info

Volume 4, Issue 1
Page Number : 99-107

Publication Issue :

January-February-2021

Article History

Accepted : 05 Feb 2021
Published : 15 Feb 2021

सारांश – योजनाओं एवं आर्थिक सहायता के द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकारें व्यावसायिक कृषि के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का समाधान ढूँढने का प्रयास कर रही है। जिसमें प्रधानमंत्री सड़क योजना, किसान रेल सेवा, फसल बीमा योजना एवं कृषि वित्त हेतु प्रधान मंत्री द्वारा किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में वार्षिक तौर पर 6000 रुपये की सहायता की जा रही है, ताकि उनकी आर्थिक लागत को कम किया जा सकें एवं किसानों की आय में वृद्धि की जा सके। इसके साथ ही साथ व्यावसायिक कृषि के विकास हेतु विभिन्न समितियों एवं आयोगों का गठन किया गया है, जिससे क्षेत्रीय आयोगों का गठन किया गया है, जिससे क्षेत्रीय आधार पर कृषि को विकसित कर आर्थिक लाभ में वृद्धि से रोजगार के साधनों में वृद्धि की जा सके। इस प्रक्रिया में कृषि के विकास हेतु नीति आयोग का सुझाव व सहयोग विशेष महत्व का है।

मुख्य शब्द – व्यावसायिक, कृषि, पूर्वी, उत्तर प्रदेश, ग्रामीण, विकास।

व्यावसायिक कृषि वह कृषि पद्धति है, जिसके अन्तर्गत फसलों एवं पशुओं का पालन एवं उत्पादन मुख्य रूप से व्यापार की दृष्टि से अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार इसका प्रमुख लक्ष्य किसानों की आय में वृद्धि करना होता है। इस हेतु किसान मुख्यतः नकदी एवं अधिक आय देने वाली फसलों का उत्पादन करता है, साथ ही व्यावसायिक कृषि के अन्तर्गत किसान कृषि के साथ-साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देता है, ताकि उसे वैकल्पिक आय का स्रोत मिल सके।

सामान्यतः व्यावसायिक कृषि पश्चिमी राष्ट्रों के बड़े-बड़े कृषि फार्मों में होने वाली कृषि पद्धति के लिए उपयोग में लाया जाता रहा है। परन्तु भारत जैसे सीमान्त कृषक वाले देश में यह कृषि के साथ-साथ वैकल्पिक रोजगार के साधन के रूप में उभर कर सामने आया है। जहां अधिकांश किसान खाने के लिए गहन निर्वाह कृषि करते हैं, एवं उसी के साथ-साथ व्यावसायिक कृषि के तहत नकदी फसलों जैसे गन्ना, सब्जी, फलफूल, मशरूम एवं मसालों का उत्पादन भी करते हैं इसके अलावा कृषि के साथ सीमित मात्रा में ही सही पर पशुपालन भी करते हैं। इस प्रकार भारत में तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक कृषि, मिश्रित कृषि के रूप में ही विकसित हो पायी है एवं धीरे-धीरे इसके क्षेत्र में विस्तार हो रहा है। विभिन्न कृषि विद्वानों एवं साधनों ने व्यावसायिक कृषि की परिभाषा के द्वारा इसके स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया है जो निम्नलिखित प्रकार है :-

डा० एम०एस० स्वामीनाथन ने अपनी पुस्तक 'परफारमैस एण्ड पोर्टेंशियल ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर' में व्यावसायिक कृषि को परिभाषित करने के क्रम में कहा है कि "कृषि जागरूकता एवं कूटनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में किसान लम्बे समय तक परम्परागत कृषि कार्यों में लगा रहा, परन्तु जब उन्हें कृषि तकनीक का ज्ञान हुआ तो वह कृषि की क्षमता को समझते हुए अत्यधिक लाभ के लिए व्यावसायिक फसलों एवं पद्धतियों को अपनाना शुरू किया, जिससे व्यावसायिक कृषि का सूत्रपात हुआ। शुरू में इसका स्वरूप एकांकी सफलों तक सीमित था, परन्तु बाद में धीरे-धीरे इसमें विस्तार हुआ एवं इसकी पहुंच नकदी फसलों के साथ-साथ, पशुपालन, बागवानी व जैविक खेती तक हो गया।

एस०एल० दास महोदय ने 'सकल कृषि क्षेत्र में नकदी फसलों के क्षेत्रों में वृद्धि को ही व्यावसायिक कृषि के रूप में परिभाषित किया है।

ए०एम० रेड्डी महोदय ने व्यावसायिक कृषि को परिभाषित करते हुए कहा है- "व्यावसायिक कृषि, कृषि पूंजीवाद के विकास में केवल एक चरण है, जिसे कभी-कभी भारतीय कृषि में पूंजीवाद की ओर पहला कदम भी कहा जाता है।"

नीति आयोग की पूर्ववर्ती संस्था, योजना आयोग ने व्यावसायिक कृषि को 'सामान्य एवं परम्परागत कृषि से आधुनिक तकनीकी आधारित कृषि में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया है।

व्यावसायिक कृषि की प्रमुख विशेषताएँ :-

1. व्यावसायिक कृषि में व्यापक स्तर पर व्यापार की दृष्टि से पशु उत्पाद एवं फसलों का उत्पादन किया जाता है। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में मशीनरी, रासायनिक उर्वरक एवं सिंचाई तकनीक का उपयोग

किया जाता है, एवं फसल एवं पशु उत्पादों के मूल्यवर्धन हेतु पोस्ट हार्वेस्ट सुविधाओं का सहारा लिया जाता है। जिसके अन्तर्गत आधारभूत संरचना, सड़क, परिवहन व भण्डारण के साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

2. व्यावसायिक कृषि मुख्यतः पूंजी आधारित कृषि पद्धति है, परन्तु मिश्रित कृषि रूप में इसका विकास कर पूंजीगत भार को कम किया जा सकता है। जिसमें कृषक इसे वैकल्पिक रोजगार के साधन के रूप में अपनाते हैं। इसके साथ-साथ अपना परम्परागत कृषि कार्य भी करते रहते हैं। अतः इस पद्धति में कृषकों पर पूंजीगत भार कम होता है।
3. व्यावसायिक कृषि में उच्च कृषि तकनीक एवं ज्ञान का होना अति आवश्यक है। इसके अभाव में किसान अत्यधिक लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक कृषि अभी शुरुआती चरण में हैं। अतः यहां व्यावसायिक कृषि विकास के समक्ष प्रमुख समस्या, कृषि तकनीक एवं ज्ञान के प्रति कम जागरूकता का होना है।
4. व्यावसायिक कृषि में व्यापक स्तर पर मशीनरी के उपयोग के साथ-साथ बड़ी मात्रा में कुशल एवं अकुशल श्रम की आवश्यकता होती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश अकुशल श्रमिक तो मिल जाते हैं परन्तु इनके कुशल प्रबंधन हेतु कुशल श्रमिकों की हमेशा कमी रहती है। अतः यहां व्यावसायिक कृषि का विकास भी इसी के अनुरूप हुआ है, जो कम लाभकारी एवं ज्यादा लागत वाला साबित होता है। स्कील डेवलपमेंट प्रोग्राम एवं संचार माध्यम के सहयोग से इसमें सुधार लाया जा सकता है।

व्यावसायिक कृषि के प्रमुख क्षेत्र :-

पशुपालन

कृषि और गावों के सामाजिक-आर्थिक विकास में पशुपालन का विशेष महत्व है। पशुपालन व्यावसायिक कृषि का एक महत्वपूर्ण घटक है। फसल उत्पादन एवं पशुपालन का प्राचीन काल से अटूट संबंध रहा है। जहां हम पशुओं का खेती के कार्यों में उपयोग करते थे वहीं दूसरी ओर इनसे खाद्य पदार्थ के रूप में दूध, दही, घी, मांस एवं अण्डा इत्यादि भी प्राप्त करते हैं। साथ ही इनके उपउत्पादों पर चमड़ा उद्योग, ऊन उद्योग, डेयरी उद्योग जैसे लघु उद्योगों का विकास होता है। साथ ही पशुओं के गोबर का उपयोग कृषि खाद एवं ऊर्जा के साधनों जैसे- उपला, गोबर गैस के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। पशुओं के गोबर के खाद का परम्परागत रूप से उपयोग होता आ रहा है, परन्तु वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता अधिक बढ़ गयी है, क्योंकि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में मिट्टी की उर्वरा शक्ति एवं सुक्ष्म पोषक तत्वों का क्षरण तेजी से हो रहा है। मिट्टी को दीर्घकाल तक स्थाई रूप से उर्वर बनाये रखने के लिए

गोबर की खाद का उपयोग अपरिहार्य है। इनकी शक्ति व ऊर्जा से कृषि कार्यों में मदद मिलती है, बदले में पशु स्वयं फसल अवशेष और हरा चारा भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में कृषक परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। पशुपालन एक प्रकार से यहां के किसानों के लिए वैकल्पिक आय का प्रमुख साधन है, क्योंकि यहां पर अधिकांश किसान मिश्रित कृषि पद्धति के रूप में कृषि के साथ-साथ पशुपालन करते हैं। इन किसानों के लिए यह पशु, बीमा राशि के समान है, जब इन्हें त्वरित रूप से रूपयों की जरूरत पड़ती है तो वह इन्हें बेंच कर अपना कार्य पूर्ण कर पाते हैं। पुनः कृषि एवं अन्य साधनों से प्राप्त आय से पशु खरीद लेते हैं। परन्तु कुछ किसान पशुपालन को अलग व्यवसाय के रूप में अपना रहे हैं जो ज्यादा लाभदायक है। कृषकों के कल्याण के लिए आवश्यकता है, समुचित प्रबंधन, प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन की जिससे कृषकों के रोजगार व आय में वृद्धि हो सके तथा साथ ही कृषि में दीर्घकालिक स्थायित्व का मार्ग प्रशस्त हो सके। इस प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां कृषि का स्वरूप अधिकांश गहन निर्वाह प्रकृति का है वहां पशुपालन का महत्व और बढ़ जाता है।

बढ़ती जनसंख्या एवं कृषि उत्पादन में ढहराव और कृषि भूमि में हो रहे लगातार कमी ने हमारे सामने भावी खाद्य संकट एवं गांवों में बेरोजगारी सृजन की समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं। मत्स्य व्यवसाय इसी समस्या के समाधान के रूप में तेजी से उभर रहा है। आज गांवों में बढ़ती रोजगार की समस्या एवं गांवों से शहरों की ओर पलायन को देखते हुए तथा अन्य कृषि व्यवसायों की गिरती स्थिति के परिप्रेक्ष्य में मत्स्य पालन एक बेहतर विकल्प बन कर उभरा है। साथ ही साथ जलीय जैविक सन्तुलन तथा भू-जलस्तर सुधार की दृष्टि से भी मत्स्य पालन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत खेती है, क्षेत्र में अधिकांश किसान लघु एवं सीमान्त हैं, साथ ही खेतीहर मजदूरों की संख्या भी अधिक है, जिन्हें रोजगार के लिए मजदूरी पर निर्भर रहना पड़ता है। क्षेत्र में अभी भी आबादी का एक ऐसा वर्ग है, जो गरीबी के कारण कूपोषित है। क्षेत्र के ऐसे गरीब व्यक्तियों के आय के वैकल्पिक स्रोत के रूप में मछली पालन एक लाभकारी व्यवसाय बन सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों से मत्स्य पालन का कार्य तेजी से बढ़ा है, इसमें देवरिया के पथरदेवा विधान सभा के विधान सभा सदस्य माननीय कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सूर्य प्रताप शाही जी का विशेष योगदान रहा है। जिससे व्यापक स्तर पर किसानों को मछली पालन हेतु अनुदान एवं प्रशिक्षण व तकनीक मृदान की गयी है। इस उपरोक्त प्रयास में जनपदों में स्थापित मत्स्य विकास अधिकरण का विशेष सहयोग रहा है, जो प्रशिक्षण एवं मत्स्य पालन की तकनीकों के प्रति युवाओं को जागरूक करने में सफल

रहा है। परन्तु अभी भी जनपद में मत्स्य पालन के क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं विद्यमान हैं, क्योंकि यहां मत्स्य पालन अभी अपनी विकसित अवस्था में नहीं है। उचित बाजार एवं विपणन संसाधनों की कमी के चलते मत्स्य पालक अत्यधिक लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं।

व्यावसायिक कृषि के अन्तर्गत मुर्गीपालन कई मायने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए मुर्गी व अन्य छोटे पक्षियों का पालन तथा उनका खेती के साथ समन्वय आर्थिक, पारिस्थितिक एवं पोषण की दृष्टि से अत्यंत लाभकारी है, तथा इसे कम पूंजी निवेश के साथ भी आरम्भ किया जा सकता है। समाज के कमजोर वर्ग, भूमिहीन मजदूरों एवं छोटे किसानों के लिए अतिरिक्त आय व पौष्टिक आहार का सबसे अच्छा व कम व्यय वाला साधन इस समय मुर्गी पालन ही है। भोजन में प्रोटीन की पूर्ति के प्रमुख स्रोत दूध, मांस, मछली और अण्डे हैं। अतः भोजन में जन्तु प्रोटीनों की पूर्ति के लिए मुर्गी पालन व्यवसाय काफी लाभदायक है। चूंकि इसकी मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है, अतः इसमें मुर्गीपालक को इसे बेचने की भी समस्या नहीं है। विशेषकर उत्तर प्रदेश में इसकी मांग बहुत ही एवं उत्तर प्रदेश अपनी आपूर्ति का आधा से अधिक अण्डा एवं ब्यालर मुर्गी दक्षिण के राज्यों से आयात करना पड़ता है। इस प्रकार कम समय में ही इस व्यवसाय से अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे-अण्डे देने वाली मुर्गियों से करीब दो महीने में ही आय प्राप्त होने लगती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के पास प्रायः छोटी-छोटी जोते हैं। अतः उनके लिये यह व्यवसाय और महत्वपूर्ण हो जाता है। इस व्यवसाय से बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान किया जा सकता है, एक फर्म की देखभाल के लिए प्रत्यक्ष रूप से 5-10 लोगों की जरूरत पड़ती, साथ ही साथ अप्रत्यक्ष रूप से 50-60 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो जाता है, जो स्थानीय स्तर पर रोजगार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

वातावरण की विषम परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन में हानि की सम्भावना बढ़ जाती है, जबकि मुर्गीपालन में ऐसी प्रति कुल परिस्थितियों में भी कुछ जरूरी उपाय करके इससे होने वाली हानि से बचा जा सकता है। इस व्यवसाय के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इसे उसर एवं बंजर बेकार पड़ी भूमि पर भी किया जा सकता है।

मुर्गी पालन किसानों के लिए तब और लाभकारी हो जाता है, जब सुनियोजित तरीके से मछली पालन, बत्तख पालन एवं मुर्गी पालन को समन्वित रूप से अपनाया जाता है, एवं मछली पालन के लिए अलग से पोषक तत्वों की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। इस प्रकार मुर्गी पालन व्यावसायिक कृषि के विस्तार में मील का पत्थर साबित हो सकता है। लेकिन आवश्यकता है उचित वित्त प्रबंधन एवं सरकारी प्रलोभन की ताकि अधिक से अधिक किसान इस व्यवसाय में शामिल हो सकें। उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न योजनाओं के

माध्यम से 30–40 प्रतिशत तक का आर्थिक अनुदान मृदान करती है साथ ही साथ वित्तीय बैंकों से सस्ती दरों पर ब्याज की भी व्यवस्था है। बस आवश्यकता है किसानों को जागरूक करने की तथा इस हेतु प्रेरित करने की।

अपनी औषधीय गुणों के कारण शहद की मांग वैश्विक एवं राष्ट्रीय बाजार में सदैव उच्च बनी रहती है एवं इसका उच्च मूल्य किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए आकर्षित करता है। शहद के अलावा मधुमक्खी से मोम, पालिश, क्रीम, दवाईयां इत्यादि के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। विशेषकर इसकी औषधीय गुणों के कारण इसका प्रयोग आयुर्वेदिक एवं युनानी चिकित्सा पद्धति में व्यापक रूप से किया जाता है। मधुमक्खी ही ऐसा परगकणी कीट है, जिसका मनुष्य द्वारा कुशलता के साथ प्रबंधन किया जा सकता है। व्यावसायिक कृषि की दृष्टि से रेशम कीट पालन एक महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है। अगर अच्छी तकनीक से रेशम के कीड़े पाले जाए तो किसानों को अच्छी आमदनी मिल सकती है। रेशम कीट का पालन शहतूत की पत्तियों के सहारे किया जाता है। यही कीट का प्रमुख आहार है। इससे रेशम के प्यूपा का निर्माण होता है, जिससे रेशम प्राप्त कर धागे का निर्माण किया जाता है। शहतूत के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में अर्जुन, साल, बेल, अरण्डी तथा अन्य पेड़ों के पत्तों पर भी रेशम कीट का पालन किया जा सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि रेशम कीट पालन से वर्ष भर आमदनी होती रहती है एवं इसकी शुरुआती लागत भी अन्य उद्योगों की अपेक्षा कम है।

प्रदेश में रेशम कीट के पालन का उद्योग तेजी के साथ फैल रहा है। उत्तर प्रदेश में बनारस रेशम के प्रमुख बाजारों में से एक है। रेशम कीट पालन में रोजगार के पर्याप्त अवसर विद्यमान है।

बागवानी, व्यवसायिक कृषि की प्रमुख शाखा है। बागवानी के अन्तर्गत, फल-फूल, सब्जियों, मसालों औषधीय पौधे एवं अन्य सजावटी पौधों का उत्पादन किया जाता है। भारत, फल एवं सब्जियों के उत्पादन में विश्व में अग्रणी राष्ट्र है (चीन के बाद द्वितीय स्थान)। बागवानी भारत की जी0डी0पी0 (कृषिगत) में 30 प्रतिशत का, तो कुल कृषि निर्यात में 38 प्रतिशत का योगदान करता है, जो कृषि में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। भारत जैसे देश में जहां आज भी 60 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ी हो वहां व्यावसायिक बागवानी कृषि, आय एवं रोजगार सुरक्षा की दृष्टि से और महत्वपूर्ण हो जाती है।

बागवानी, लैटिन भाषा के दो शब्दों **Hortus** एवं **Cultura** से मिलकर बना है जिसका शब्दिक अर्थ क्रमशः **Garden** एवं **Cultivation** होता है, अर्थात् गार्डन कृषि, जिसमें फल-फूल, सब्जियों को एक छोटे भूभाग में उगाया जाता है किन्तु अब इसका विस्तार व्यापक क्षेत्र में हो गया है।

व्यावसायिक कृषि के लाभ :-

1. स्थानीय स्तर पर कृषि आधारभूत संरचना जैसे-सड़क, इलेक्ट्रिशिटी, लघु उद्योग, संचार साधन, पोस्ट हार्वेस्ट सुविधाएं एवं कृषि तकनीक व सिंचाई साधनों इत्यादि का विकास होता है, जिससे किसान तथा स्थानीय जनता दोनों को फायदा होता है।
2. व्यावसायिक कृषि से रोजगार के साधनों का विकास होता है, विशेषकर स्थानीय रोजगार प्राप्त होता है, जिसमें स्थानीय जनजीवन एवं अर्थ व्यवस्था में तेजी से सुधार होता है।
3. व्यावसायिक कृषि से कृषि उत्पादकता एवं उत्पादन के साथ-साथ कृषकों की आय में तेजी से वृद्धि होती है एवं खाद्य सुरक्षा की स्थिति प्राप्त होती है।
4. व्यावसायिक कृषि से कृषि आधारित उद्योगों के लिए व्यापक स्तर पर कच्चे माल की प्राप्ति होती है जिससे लघु एवं स्थानीय प्रकृति के उद्योगों का विकास होता है।
5. व्यावसायिक कृषि के कारण कृषि जागरूकता बढ़ती है एवं कृषि तकनीक उपयोग बढ़ता है, जिससे उचित कृषि प्रबंधन के द्वारा कृषि लागत को कम किया जा सकता है।
6. व्यावसायिक कृषि से पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है।

व्यावसायिक कृषि के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ :-

व्यावसायिक कृषि सम्भावनाओं का क्षेत्र है फिर भी इसके सामने अनेक चुनौतियाँ हैं, जो भारत जैसे देश में कृषि विकास के समक्ष प्रमुख बाधा के समान हैं-

1. लघु एवं सीमान्त जोत का स्वरूप भारत में व्यावसायिक कृषि के समक्ष प्रमुख समस्या है। भारत के 80 प्रतिशत से अधिक किसान सीमान्त एवं लघु जोत वाले हैं। अतः वह उच्च कृषि तकनीक एवं पूंजी का उपयोग नहीं कर पाते एवं गहन निर्वाह कृषि कार्य में लग जाते हैं।
2. भारतीय कृषि में तकनीकी का उपयोग स्तर अत्यंत निम्न है, जबकि व्यावसायिक कृषि हेतु कृषि तकनीक एवं कुशलता का होना आवश्यक तत्व है।

3. भारत में कृषि उत्पादों, विशेषकर वाणिज्यिक व्यावसायिक फसलों व नकदी फसलों का बाजार विकसित नहीं है। अतः किसान हतोत्साहित हो जाते हैं तथा उन्हें उनकी फसल का उचित लाभ नहीं मिल पाता है।
4. भारत में खाद्य प्रसंस्करण के साधनों जैसे, गोदाम, शीतगृह भण्डार, प्रोसोसिंग युनिट इत्यादि का अभाव है। अतः यह व्यावसायिक कृषि के उच्च लागत वाली फसलों के उत्पादन को हतोत्साहित करता है।
5. संचार साधनों, विशेषकर गावों से शहरों एवं बाजारों तक कृषि अनुकूल साधनों का विकास ना होने से भी व्यावसायिक कृषि को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

विभिन्न योजनाओं एवं आर्थिक सहायता के द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकारें व्यावसायिक कृषि के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का समाधान ढूँढने का प्रयास कर रही है। जिसमें प्रधानमंत्री सड़क योजना, किसान रेल सेवा, फसल बीमा योजना एवं कृषि वित्त हेतु प्रधान मंत्री द्वारा किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में वार्षिक तौर पर 6000 रुपये की सहायता की जा रही है, ताकि उनकी आर्थिक लागत को कम किया जा सके एवं किसानों की आय में वृद्धि की जा सके। इसके साथ ही साथ व्यावसायिक कृषि के विकास हेतु विभिन्न समितियों एवं आयोगों का गठन किया गया है, जिससे क्षेत्रीय आयोगों का गठन किया गया है, जिससे क्षेत्रीय आधार पर कृषि को विकसित कर आर्थिक लाभ में वृद्धि से रोजगार के साधनों में वृद्धि की जा सके। इस प्रक्रिया में कृषि के विकास हेतु नीति आयोग का सुझाव व सहयोग विशेष महत्व का है।

संदर्भ

1. Swaminathan, M.S. (1995) : Agriculture Food Security and Employment : Changing Times, uncommon Opportunities, Nature and Resources UNESCO 31(1).
2. Swaminathan, M.S. From Green to Evergreen Revolution : Indian agriculture, Performance and challenger New Delhi : Academic Foundation.
3. Das, H.L., Agriculture Efficiency in India, Marital Publication, New Delhi, 1993 P.No. 106
4. Reddy, A.M., The Commercialization Agriculture in Nellore District.

5. Swaminathan, M.S., Performance and Potential of Indian Agriculture, 1850+916.
6. Swaminathan, M.S. Combating Hunger and Achiving Food Security.
7. State Agriculture Plan, Uttar Pradesh Department of Agriculture Goverment of U.P., Lucknow, Nov. 2008.
8. कृषि भूगोल, साजिद हुसैन, पृ0सं0-28
9. हरीश कुमार स्त्री, कृषि भूगोल, कैलाश पुस्तक सदन भोपाल, पृ0सं0-2
10. त्रिपाठी, आर0सी0 एवं सिंह, बी0, कृषि भूगोल, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद, पृ0सं0-35